

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2016—फाल्गुन 4, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्र. एफ-बी-4-03-2016-2-पांच (6).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य सरकार के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम तथा इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टा विलेख के निरस्तीकरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्र. एफ बी-4-03-2016-2-पांच (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-03-2016-2-पांच (6), दिनांक 23 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 23<sup>rd</sup> February 2016

No. F. B.4-03-2016-2-V(6).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on instrument of cancellation of lease deed executed by or on behalf of the department of Commerce, Industries and Employment, Madhya Pradesh Audhyogik Kendra Vikas Nigam and Industrial Infrastructure Development Corporation Limited of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्र. एफ-बी-4-03-2016-2-पांच (5).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य सरकार के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम तथा इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टा विलेख के निरस्तीकरण की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्र. एफ-बी-4-03-2016-2-पांच (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-03-2016-2-पांच (5), दिनांक 23 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 23<sup>rd</sup> February 2016

No. F. B.4-03-2016-2-V(5).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, remits the registration fees chargeable on instrument of cancellation of lease deed executed by or on behalf of the department of Commerce, Industries and Employment, Madhya Pradesh Audhyogik Kendra Vikas Nigam and Industrial Infrastructure Development Corporation Limited of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.